

कुनमगि-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविधिता फ्रेमवर्क

प्रलिस के लयि:

UNCCD, COP15, कुनमगि-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविधिता फ्रेमवर्क



मेन्स के लयि:

कुनमगि-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविधिता फ्रेमवर्क, COP15 के परणाम, पर्यावरण प्रदूषण और गरिवट

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में जैवविधिता पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) में "कुनमगि-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविधिता फ्रेमवर्क" (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework- GBF) को अपनाया गया है।

- GBF के अंतरगत वर्ष 2030 तक के लयि 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य नरिधारति कयि गए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैवविधिता सम्मेलन संपन्न हुआ।
- COP15 का पहला भाग कुनमगि, चीन में हुआ और इसमें जैवविधिता संकट को दूर करने की प्रतबिद्धता पर बल दया गया तथा [कुनमगि घोषणा](#) को 100 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया।



Decoding the 23 targets set at COP15

A total of 196 countries have signed a historic deal to protect 30% of the world for nature by 2030 in Montreal

REDUCING THREATS TO BIODIVERSITY

- 1) Halting biodiversity loss:** Bringing the loss of areas of high biodiversity importance close to zero, while respecting the rights of indigenous people
- 2) Effective restoration:** At least 30% of areas of degraded terrestrial, inland water, and coastal and marine ecosystems are under effective restoration
- 3) Mapping linkages:** Sustainable use of above areas is consistent with conservation outcomes
- 4) Saving endangered species:** Urgent steps to halt human induced extinction of threatened species; maintain their diversity through in situ and ex situ conservation
- 5) Protecting wild species:** Sustainable, safe and legal use of wild species; preventing overexploitation
- 6) Invasive alien species:** Mitigating their impacts by reducing rates of introduction by 50%; controlling them in priority sites such as islands
- 7) Tackling pollution:** Reduce pollution risks to levels that are not harmful to biodiversity and ecosystem functions
- 8) Climate crisis:** Minimise impact of climate change and ocean acidification through nature-based solutions



Monitored wildlife populations have seen a 69% drop on average since '70, say WWF, LPF

MEETING HUMAN REQUIREMENTS THROUGH SUSTAINABLE USE

- 9) Serving humans:** Ensure use of wild species yields benefits for humans, especially for those most dependent on biodiversity
- 10) Ecosystem productivity:** Sustainable management of areas under agriculture, aquaculture, fisheries and forestry for resilience and long-term productivity
- 11) Handling nature's contributions:** Restore, maintain and enhance nature's contributions to people through regulation of air, water, and climate
- 12) Biodiversity in urban fabric:** Increase the area and quality and connectivity of, access to, and benefits from green and blue spaces in urban and densely populated areas
- 13) Sharing genetic resources:** Take effective legal, policy, administrative and capacity-building measures to ensure equal sharing of benefits of genetic resources



Indigenous rights have been included in one-third of the new framework's targets

TOOLS AND SOLUTIONS FOR IMPLEMENTATION AND MAINSTREAMING

- 14) Policy-making:** Integration of biodiversity and its values into policies across all levels of govt, other sectors
- 15) Legal perils for businesses:** Regular assessments by transnational firms of their risks, dependencies, impacts on biodiversity; report on compliance with regulations
- 16) Making eco-friendly choices:** Encouraging people to make sustainable consumption choices, reduce global footprint of consumption
- 17) Biosecurity measures:** Adopting such steps for handling of biotechnology and distribution of its benefits
- 18) Removal of harmful incentives:** Identify by 2025, and eliminate/reform incentives harmful for biodiversity; cut them by \$500 bn per year by 2030
- 19) Biodiversity finance:** Increasing financial resources, mobilising \$200 billion per year by 2030
- 20) Technical cooperation:** Strengthen capacity-building and development, access to and transfer of technology
- 21) Sharing knowledge:** Access to information by decision makers, practitioners and public; access to technologies of indigenous peoples only with their consent
- 22) Equal representation:** Ensuring equitable representation in decision-making
- 23) Gender based review:** A gender-responsive approach by recognising women's rights and access to natural resources



Signatories aim to ensure \$200bn per year is channelled to conservation initiatives

//

वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क के प्रमुख उद्देश्य:

- **30x30 समझौता:**
 - वर्ष 2030 तक विश्व स्तर पर (थल और जल स्तर पर) **30%** नमिनीकृत हुए पारस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करना।
 - वर्ष 2030 तक **30%** क्षेत्रों (स्थलीय, अंतरदेशीय जल और तटीय एवं समुद्री) का संरक्षण तथा प्रबंधन करना।
- **ज्ञात प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना और वर्ष 2050 तक सभी प्रजातियों (अज्ञात सहित) के विलुप्त होने के जोखिम और दर को दस गुना कम करना।**
- **वर्ष 2030 तक कीटनाशकों के जोखिम को 50% तक कम करना।**
- वर्ष 2030 तक पोषक तत्वों में होने वाली कमी में सुधार करना।
- वर्ष 2030 तक सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के जोखिमों और प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों को उस स्तर तक कम करना ताकि वैश्विक जैवविविधता एवं पारस्थितिक तंत्र कार्यों के लिये हानिकारक न रहें।
- **वर्ष 2030 तक खपत के वैश्विक पदचिह्न को कम करना**, जिसमें अत्यधिक खपत और अपशिष्ट उत्पादन को कम करना तथा भोजन की बर्बादी को रोकना शामिल है।
- **कृषि, जलीय कृषि, मत्स्यपालन और वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रों का सतत् प्रबंधन करना** तथा कृषि पारस्थितिकी एवं अन्य जैवविविधता-अनुकूल प्रथाओं में काफी वृद्धि करना।
- प्रकृत आधारित समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटना।

- वर्ष 2030 तक नई वदिशी प्रजातियों के आगमन और स्थायित्व की दर को 50% तक कम करना ।
- वर्ष 2030 तक जंगली प्रजातियों के सुरक्षा, कानूनी और टिकाऊ उपयोग एवं व्यापार को सुरक्षा करना ।
- शहरी क्षेत्रों को हरा-भरा करना ।

COP15 के अन्य प्रमुख परिणाम:

- **प्रकृति के लिये धन:**
 - हस्ताक्षरकर्ताओं का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक और नजीक स्रोतों से प्रतिवर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर नई संरक्षण योजनाओं के लिये दिया जाए ।
 - अमीर देशों को वर्ष 2025 तक हर साल कम-से-कम 20 अरब डॉलर और वर्ष 2030 तक हर साल कम-से-कम 30 अरब डॉलर का योगदान देना चाहिये ।
- **बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट का जैवविविधता पर प्रभाव:**
 - कंपनियों को विश्लेषण करना चाहिये कि कैसे उनका संचालन उनकी रिपोर्ट व जैवविविधता प्रभावित होती है ।
 - भारत ने जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिये 2020 के बाद के वैश्विक ढाँचे को सफलतापूर्वक लागू करने में विकासशील देशों की मदद करने के लिये एक नया और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया ।
- **हानिकारक सब्सिडी:**
 - वर्ष 2025 तक जैवविविधता को कम करने वाली सब्सिडी की पहचान करने और फेरि उन्हें समाप्त करने, चरणबद्ध करने या सुधार करने के लिये प्रतिबद्ध हैं ।
 - वे 2030 तक उन प्रोत्साहनों को प्रतिवर्ष कम-से-कम 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम करने और संरक्षण के लिये सकारात्मक प्रोत्साहन बढ़ाने पर सहमत हुए ।
- **नगिरानी और रिपोर्टिंग प्रगति:**
 - सभी सहमत लक्ष्यों की भविष्य में प्रगति की नगिरानी करने के लिये प्रक्रियाओं को सशक्त किया जाएगा, इस समझौते को आइची (जापान) समझौते, 2010 की तरह नहीं लिया जाएगा, जो कभी पूरे नहीं हुए ।
 - जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले प्रयासों के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये उपयोग किये जाने वाले समान प्रारूप के बाद राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को निर्धारण एवं उनकी समीक्षा की जाएगी । कुछ पर्यवेक्षकों ने इन योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिये देशों की समयसीमा की कमी पर आपत्ति जताई है ।

भारत ने सम्मेलन में अपनी मांगों को कैसे प्रस्तुत किया?

- भारत ने जैवविविधता के नुकसान को रोकने व पलटने के लिये 2020 के बाद के वैश्विक ढाँचे को सफलतापूर्वक लागू करने में विकासशील देशों की मदद के लिये एक नया और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया है ।
 - अब तक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility- GEF) जो UNFCCC और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय सहित कई अभिसमयों को शामिल करती है, जैवविविधता संरक्षण के लिये धन का एकमात्र स्रोत बनी हुई है ।
- भारत ने यह भी कहा कि जैवविविधता का संरक्षण भी 'सामान्य लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों और प्रतिरिप्यात्मक क्षमताओं' (CBDR) पर आधारित होना चाहिये क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी प्रकृति को प्रभावित करता है ।
- भारत के अनुसार, विकासशील देश जैवविविधता के संरक्षण के लिये लक्ष्यों को लागू करने का अधिकांश भार वहन करते हैं और इसलिये प्राप्त धन एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता होती है ।

जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD):

- CBD जैवविविधता के संरक्षण के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है और 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है ।
- यह देशों के लिये जैवविविधता की रक्षा, सतत उपयोग सुनिश्चित करने और उचित एवं न्यायसंगत लाभ साझाकरण को बढ़ावा देने हेतु दशा-नरिदेश निर्धारित करता है ।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के समान जैवविविधता के नुकसान को रोकने और प्रतिपूर्ति के लिये एक ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करना है ।
- CBD सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है ।
- CBD के तहत पक्षकार (देश) नियमित अंतराल पर बैठक करते हैं और इन बैठकों को पक्षकारों का सम्मेलन (COP) कहा जाता है ।
- वर्ष 2000 में बायोसेफ्टी पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के रूप में ज्ञात अभिसमय के लिये एक पूरक समझौता अपनाया गया था । यह 11 सितंबर, 2003 को लागू हुआ ।
 - प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैवविविधता की रक्षा करना चाहता है ।
- आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग (Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization- ABS) से प्राप्त होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल को COP10 में नागोया, जापान में वर्ष 2010 में अपनाया गया था । यह 12 अक्टूबर, 2014 को लागू हुआ ।
 - यह प्रोटोकॉल न केवल CBD के तहत शामिल आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े उस पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge-TK) को भी कवर करता है जो CBD और इसके उपयोग से होने वाले लाभों से आच्छादित हैं ।

- वर्ष 2010 में [नागोया](#) में CBD की [कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़ \(COP\)-10](#) में वर्ष 2011-2020 हेतु 'जैवविविधता के लिये रणनीतिक योजना' को अपनाया गया। इसमें पहली बार वषिय वशिषिट 20 जैवविविधता लक्ष्यों- जिन्हें [आइची जैवविविधता लक्ष्य](#) के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया गया।
- भारत में CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में [जैविक विविधता अधिनियम](#) अधिनियमिति कथिा गया।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: 'मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" कसिके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? (2018)

- (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- (b) यूएनईपी सचवालय
- (c) यूएनएफसीसीसी सचवालय
- (d) वशिष्व मौसम वजिज्ञान संगठन

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ", UNFCCC सचवालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक पहल है।
- यह पहल मोमेंटम फॉर चेंज के तहत एक स्तंभ है जिसका उद्देश्य जलवायु तटस्थता हासलि करना है।
- जलवायु तटस्थता तीन-चरणीय प्रक्रथिा है, जिसके लथि व्यक्तथिों, कंपनथिों और सरकारों को कार्बन पदचहिन को मापना, जतिना संभव हो उतना उत्सर्जन कम करना तथा उत्सर्जन को ऑफसेट करना जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रमागति उत्सर्जन कटौती के अनुरूप न हो।

अतः विकल्प (c) सही है।

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/kunming-montreal-global-biodiversity-framework>

